तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर आ... हुक्म...
22-7-16	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ डिक्रीदार ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/पार्टी/अपार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16-9-16 को पेश हो। रीडर	
16-9-16	वकील डिक्रीदार उपस्थित है। पालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। स्मरण पत्र जारी किया जाकर पत्रावली दि० 20-10-16 को पेश हो।	
20-10-16	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/वकील उभयपक्ष~~ डिक्रीदार उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि० 24-11-16 को पेश हो। रीडर	
24-11-16	वकील डिक्रीदार उपस्थित है। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार डिक्री आदेश दि० 2-7-14 की पालना हो चुकी है। अब पत्रावली में अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

[illegible] उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

[illegible] अधिकारी श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

[illegible]	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]	16.06.2006	02.07.2014

[illegible] निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

[illegible] मुसलमान निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी

[illegible] गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

[illegible] इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

[illegible] एडवोकेट, वादी की ओर से

[illegible] एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

[illegible] का पेश किया है कि ग्राम उदेईकलां में वादी को [illegible] ख0नं0 421/4 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। [illegible] वादी को 5 बीघा भूमि पर कब्जा संभला दिया गया । दिए [illegible] आज तक भी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। आवंटनशुदा [illegible] 1071 दिनांक 25.5.76 वादी के हक में खोला गया एवं [illegible] हो गया । इस आवंटित भूमि से किसी अन्य दीगर [illegible] नहीं है। सेटिलमेंट के दौरान वादी को आवंटितशुदा भूमि [illegible] 5 बीघा का नया नम्बर 2836 रकबा 1.08 हैक्टर कायम [illegible] किया है जो गलत है। पुराने रिकार्ड के अनुसार वादी को 5 [illegible] एवं नये रिकार्ड में वादी को 4 बीघा 8 एयर भूमि ही दी [illegible] जमीन रिकार्ड जमाबंदी में सेटिलमेंट कर्मचारियों ने कम [illegible] आवंटनशुदा खेत के छिपनी की दिशा में एक मोटी पाल बनी हुई [illegible] प्रतिवादी अब्दुल वारी का खेत है। वादी को आवंटन के वक्त [illegible] गया तो उपरोक्त आवंटनशुदा भूमि को पटवारी द्वारा [illegible] पाल से लगवां से उगोनी की ओर प्रतिवादी के खेत की [illegible] है। सेटिलमेंट अधिकारियों से प्रतिवादी ने साज करके वादी [illegible] कम करवा दिया था। प्रतिवादी की नियत में फर्क है। वह [illegible] हड़पना चाहता है तथा अपने खेत में मिलाना चाहता है। [illegible] कहता है कि अपनी जमीन को नपवा लो नवीन रिकार्ड के [illegible] 1.08 हैक्टर भूमि नापता है, पूरे 5 बीघा को नहीं नापता [illegible] पर काबिज है। नवीन रिकार्ड में वादी को 17 एयर जमीन [illegible] सेटिलमेंट अधिकारियों ने प्रतिवादी के खेत में मिला दी । इसी [illegible] कम हुआ है। वादी अपनी आवंटनशुदा पूरी 5 बीघा भूमि को [illegible] कराने का पूर्ण अधिकार रखता है । प्रतिवादी लठ्ठदार, [illegible] का व्यक्ति है और उसकी नियत में बदयान्ति आ गई है [illegible] वादी की आवंटनशुदा भूमि में जबरन कब्जा करने को आमादा [illegible] को शाम के 6 बजे प्रतिवादी वादी की भूमि पर पहुंच गया [illegible] जबरदस्ती ट्रेक्टर से कुण्डा खोदना शुरू कर दिया तथा कुण्डे [illegible] वादी के खेत में डाल रहा है जबकि प्रतिवादी को वादी [illegible] करने का कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 13.6.06 को सुबह 9 [illegible] गया तो प्रतिवादी ने रात रात में वादी के खेत में अतिक्रमण [illegible] दिया और कुण्डे की मिट्टी जबरन वादी के खेत में डाल रहा [illegible] कहने लगा कि मैं तो ऐसे ही खोदूंगा तुम्हें जो करना है कर लेना।

[illegible] निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस प्रकार डिक्री [illegible] किया जावे कि ग्राम उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी में [illegible] 421/4 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन हुई थी । सेटिलमेंट [illegible] खाते में 1.08 हैक्टर भूमि ही इन्द्राज की है। वादी को 17 एयर [illegible] है । यह 17 एयर भूमि प्रतिवादी के खेत ख0नं0 2841 में

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
93/2006	16.06.2006	02.07.2014

मुन्ना पुत्र मांग्या जाति बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. अब्दुल वारी पुत्र अब्दुल करीम, मुसलमान निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ---प्रतिवादीगण

<u>दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित:– श्री गोपाल लाल शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री लालाराम सैनी, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम उदेईकलां में वादी को दिनांक 9.11.75 को साबिक ख0नं0 421/4 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। आवंटन के बाद मौके पर वादी को 5 बीघा भूमि पर कब्जा संभला दिया गया । दिए गए कब्जे के अनुसार वादी आज तक भी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। आवंटनशुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1071 दिनांक 25.5.76 वादी के हक में खोला गया एवं इसका इन्द्राज जमाबंदी में भी हो गया । इस आवंटित भूमि से किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध नहीं है। सेटिलमेंट के दौरान वादी को आवंटितशुदा भूमि साबिक ख0नं0 421/4 रकबा 5 बीघा का नया नम्बर 2836 रकबा 1.08 हैक्टर कायम कर वादी के नाम अंकित किया है जो गलत है। पुराने रिकार्ड के अनुसार वादी को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी एवं नये रिकार्ड में वादी को 4 बीघा 8 एयर भूमि ही दी गई है । वादी को 17 एयर जमीन रिकार्ड जमाबंदी में सेटिलमेंट कर्मचारियों ने कम कर दी है। वादी के आवंटनशुदा खेत के छिपनी की दिशा में एक मोटी पाल बनी हुई और उगोनी की तरफ प्रतिवादी अब्दुल वारी का खेत है। वादी को आवंटन के वक्त जब भूमि का कब्जा संभलाया गया तो उपरोक्त आवंटनशुदा भूमि को पटवारी द्वारा छिपनी की तरफ स्थित मोटी पाल से लगवा से उगोनी की ओर प्रतिवादी के खेत की तरफ नाप कर कब्जा दिया है। सेटिलमेंट अधिकारियों से प्रतिवादी ने साज करके वादी का रकबा रिकार्ड में इन्द्राज कम करवा दिया था। प्रतिवादी की नियत में फर्क है। वह वादी की 14 एयर भूमि को हडपना चाहता है तथा अपने खेत में मिलाना चाहता है। प्रतिवादी बार बार वादी से कहता है कि अपनी जमीन को नपवा लो नवीन रिकार्ड के अनुसार हलका पटवारी केवल 1.08 हैक्टर भूमि नापता है, पूरे 5 बीघा को नहीं नापता है जबकि वादी पूरे 5 बीघा पर काबिज है। नवीन रिकार्ड में वादी को 17 एयर जमीन कम मिली है वह जमीन सेटिलमेंट अधिकारियों ने प्रतिवादी के खेत में मिला दी । इसी वजह से वादी का रकबा कम हुआ है। वादी अपनी आवंटनशुदा पूरी 5 बीघा भूमि की दुरूस्ती नवीन रिकार्ड में करवाने का पूर्ण अधिकार रखता है । प्रतिवादी लठ्ठदार, झगड़ालू व बदमाश किस्म का व्यक्ति है और उसकी नियत में बदयान्ति आ गई है और वह दिन प्रतिदिन वादी की आवंटनशुदा भूमि में जबरन कब्जा करने को आमादा हो रहा है। दिनांक 12.6.06 को शम के 6 बजे प्रतिवादी वादी की भूमि पर पहुंच गया और 2836 के कौने पर जबदस्ती ट्रेक्टर से कुण्डा खोदना शुरू कर दिया तथा कुण्डे की मिट्टी लठ्ठ के जोर पर वादी के खेत में डाल रहा है जबकि प्रतिवादी को वादी के खेत में अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 13.6.06 को सुबह 9 बजे वादी अपने खेत पर गया तो प्रतिवादी ने रात रात में वादी के खेत में अतिक्रमण करते हुए कुण्डा खोद दिया और कुण्डे की मिट्टी जबरन वादी के खेत में डाल रहा है। वादी ने मना तो कहने लगा कि मैं तो ऐसे ही खोदूंगा तुम्हें जो करना है कर लेना। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस प्रकार डिक्री किया जावे व यह घोषित किया जावे कि ग्राम उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी में वादी को साबिक ख0नं0 421/4 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन हुई थी । सेटिलमेंट कर्मचारियों ने वादी के खाते में 1.08 हैक्टर भूमि ही इन्द्राज की है। वादी को 17 एयर भूमि रिकार्ड में कम दी है । यह 17 एयर भूमि प्रतिवादी के खेत ख0नं0 2841 में

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

[illegible] प्रतिवादी नम्बर 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादी की अलोटशुदा भूमि साबिक ख0नं0 421/4 रकबा 5 बीघा हाल ख0नं0 2836 रकबा 1.08 हैक्टर में वादी के कब्जेशुदा खेत में कुण्डा न खोदे एवं कुण्डे की मिट्टी को वादी के खेत में न डाले एवं वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करें व डाली हुई मिट्टी को तुरन्त हटाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जरिये नोटिस की गई। प्रतिवादी नं0 2 बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुए । अतः प्रतिवादी नं0 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं0 1 ने अपने जबाब में वादी के दावे को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि वादी एवं प्रतिवादी नम्बर की भूमि के मध्य सदैव से पुरानी डौल बनी हुई है और प्रतिवादी नम्बर 1 अपनी खातेदारी व कब्जे की भूमि में ही कुण्डा बनवा रखा है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादी की भूमि अपने खेत में नहीं मिलाई है। वादी की खातेदारी की भूमि ख0नं0 2830 व 2841 कुल रकबा 2.84 हैक्टर है जिसका साबिक नम्बर 420 रकबा 11 बीघा 10 विस्वा था। प्रतिवादी नम्बर 1 ने किसी की भी कोई भूमि अपने खेत में नहीं मिला रखी है। अपितु सत्य यह है कि प्रतिवादी नम्बर 1 अपनी खातेदारी व कब्जे की भूमि जो सदैव से प्रतिवादी नम्बर की रही है उसी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने यह दावा झूंठे व निराधार तथ्यों पर प्रतिवादी नम्बर 1 को हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किया है। वादी को प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध दिनांक 13.6.2006 को या अन्य किसी दिन कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आया भूमि साबिक ख0नं0 421/4 रकबा 5 बीघा ग्राम उदेईकलां वादी को दि0 [illegible] की आवंटनशुदा भूमि है एवं वादी की खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। ---वादी

2. आया वादी की भूमि का नवीन नम्बर 2836 रकबा 1.08 हैक्टर बनाया गया है जो साबिक रकबे से 17 एयर कम है। ---वादी

3. आया वादी की 17 एयर भूमि ख0नं0 2841 में शामिल कर प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी में शामिल कर दी गई है। ---वादी

4. आया दि0 12.6.06 को प्रतिवादी नं0 1 ने वादी की भूमि ख0नं0 2836 के कौने पर जबरन कुण्डा खोदना शुरू कर दिया फलस्वरूप वादी को वादकारण उत्पन्न हुआ। ---वादी

5. आया वादी ख0नं0 2841 में से 17 एयर भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने व प्रतिवादी नं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। ---वादी

6. आया प्रतिवादी की भूमि साबिक ख0नं0 420 रकबा 11 बीघा 10 विस्वा थी जिसका नवीन नम्बर 2841 रकबा 2.84 हैक्टर बनाया गया है इस प्रकार वादी की कोई भूमि प्रतिवादी के नहीं लगाई गई है। वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर यह दावा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। ---प्रतिवादी

7. अनुतोष।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने स्वयं का शपथपत्र प्रदर्श–1, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2041–42 प्रदर्श–8, नकल साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श–5, नकल [illegible] सं0 1071 दिनांक 25.5.76 प्रदर्श–4, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064 प्रदर्श–9, नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सं0 2057 से 2060 प्रदर्श–6, प्रदर्श–7 पेश किए हैं एवं बयान वादी कल्या[illegible] पी0डब्लू0 2, बयान गवाह रामचरण पी0डब्लू0 1 कराए हैं।

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर

प्रतिवादी नं0 1 ने अपने जवाब के समर्थन में नकल जमाबंदी सं0 2065 से 2068 प्रदर्श डी–2, नकल जमाबंदी सं0 2025 से 2028 प्रदर्श डी–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श डी–3 पेश किए हैं एवं बयान प्रतिवादी अब्दुल वारी डी0डब्लू0 1, गवाह साकिब डी0डब्लू0 2 के बयान कराए हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वादी के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादी की आवंटित 5 बीघा भूमि के बदले सेटिलमेंट के दौरान वादी को जो भूमि दी गई है वह 17 एयर कम है एवं यह 17 एयर भूमि प्रतिवादी की खातेदारी में शामिल कर दी गई है। वादी की इस भूमि पर प्रतिवादी ने जबरन कुण्डा खोद लिया है एवं मिट्टी वादी के खेत मैं सरका दी है जिससे वादी का खेत खराब हो रहा है। अतः वादी की जो 17 एयर भूमि प्रतिवादी के खेत में शामिल की गई है उसे वापिस वादी के नाम दर्ज की जावे एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि वादी की कोई भूमि प्रतिवादी की खातेदारी में नहीं लगाई गई है । जिस भूमि पर वादी पहले से काबिज था उस पर वह अब भी काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी की भूमि 11 बीघा 10 बिस्वा थी जिसके बदले प्रतिवादी को 2.84 हैक्टर भूमि मिली है जो साबिक रकबे से 3 एयर कम है। बहस के दौरान प्रतिवादी अब्दुल वारी ने बताया कि वादी की कोई भूमि प्रतिवादी के नहीं लगी है । वादी ने दावा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रतिवादी ने कुण्डा अपनी भूमि में ही खुदवाया है, इस दौरान कुण्डे की जो मिट्टी वादी के खेत में गिरी है उसे प्रतिवादी हटाने को तैयार है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल नामान्तरकरण प्रदर्श–4 के अनुसार ख0नं0 421/4 रकबा 5 बीघा वादी मूल्या की खातेदारी में दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 के अनुसार ख0नं0 421/4 से ख0नं0 2836 रकबा 1.08 हैक्टर कायम किया गया है जो नकल जमाबंदी प्रदर्श–7 के अनुसार वादी की खातेदारी में दर्ज है। वादी का कहना है कि उसको भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उसके साबिक रकबे 5 बीघा के मुकाबले 17 एयर भूमि कम दी गई है जो उसके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से स्पष्ट भी है। वादी का यह भी कहना है कि उसकी 17 एयर भूमि प्रतिवादी अब्दुल वारी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है। इस कथन को साबित करने के लिए वादी ने नकल नामान्तरकरण प्रदर्श–4, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सं0 2057 से 2060 प्रदर्श–7, नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 एवं नकल साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श–5 पेश किए हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल नामान्तरकरण प्रदर्श–4 एवं नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 के अनुसार वादी को 5 बीघा भूमि के बदले 1.08 हैक्टर भूमि ही मिली है जो साबिक रकबा 5 बीघा के मुकाबले 17 एयर कम है। जहां तक यह भूमि प्रतिवादी के खाते में दर्ज होने का प्रश्न है प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श डी–1 के अनुसार ख0नं0 420 का रकबा 11 बीघा 10 विस्वा था । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श डी–3 के अनुसार ख0नं0 420 के नवीन नम्बर 2830 रकबा 36 एयर, 2841 रकबा 2.48 हैक्टर बने हैं जो नकल जमाबंदी प्रदर्श डी–2 के अनुसार प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज है। ख0नं0 420 का रकबा 11 बीघा 10 विस्वा के अनुसार इसका रकबा 2.87 हैक्टर होना चाहिए था परन्तु प्रतिवादी को 2.84 हैक्टर रकबा मिला है। इस प्रकार प्रतिवादी को भी साबिक रकबे के मुकाबले कम रकबा मिला है। वादी का साबिक रकबा किस नम्बर में मिलाया गया है यह तथ्य नवीन व पुराने नक्शा ट्रेस के मिलान से भी स्पष्ट नहीं होता है। वादी ने जो मौखिक साक्ष्य पेश की है उसमें जिरह के दौरान वादी ने कोई स्पष्ट तथ्य नहीं बताए हैं। वादी के गवाह ने भी अपने बयानो में जिरह के दौरान प्रतिवादी द्वारा कुण्डा खुदाने के समय उसका वहां उपस्थित नहीं होना अंकित किया है, कुण्डा प्रतिवादी के खेत में खोदना अंकित कराया है । इस प्रकार वादी के गवाह के बयानों से भी वादी की भूमि प्रतिवादी के खाते में जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं होती है इसलिए प्रस्तुत अभिलेख व बयानों के अनुसार वादी प्रतिवादी से 17 एयर भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जहां तक प्रतिवादी द्वारा वादी के खेत में मिट्टी डालने की बात है, टी0आई0 प्रार्थना पत्र में उपलब्ध मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी दिनांक 2?.6.06 के अनुसार प्रतिवादी ने ...

प्रमाणित प्रतिलिपि
जिला ...
गंगापुर सिटी

है एवं उसकी मिट्टी ख0नं0 2836 में वादी के खेत में डाल दी है एवं प्रतिवादी ने स्वयं ने बहस के दौरान यह स्वीकार किया है कि कुण्डे की जो मिट्टी वादी के खेत में डाल दी गई है उसे वह स्वयं हटवा देगा । इस प्रकार नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट से प्रतिवादी द्वारा वादी के खेत में मिट्टी डालने का तथ्य प्रमाणित है एवं प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि उसने वादी को वादी की खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न की है जिसके लिए वादी प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का दावा घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती के लिए सिद्ध नहीं होता है फलस्वरूप दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी अब्दुल वारी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी को उसकी खातेदारी की भूमि ख0नं0 2836 रकबा 1.08 हैक्टर ग्राम [illegible] के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रतिवादी द्वारा वादी के खेत में जो मिट्टी डाली गई है उसे प्रतिवादी अपने खर्चे पर 15 दिवस में स्वयं हटवा देवे । पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2014 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

नकल नं. ...56/6/... 2-7-14
... S.D.M. गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

[illegible] उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
[illegible] मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

[illegible] जाति बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. [illegible] अब्दुल करीम, मुसलमान निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. [illegible] जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

<u>दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं. — 92/2006

वह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री [illegible] शर्मा, एडवोकेट **मिनजानिब मुद्दई** श्री लालाराम सैनी **मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व** उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का दावा घोषणां खातेदारी व इन्द्राज दुरुस्ती के लिए सिद्ध नहीं होता है फलस्वरुप दावा वादी आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी अब्दुल वारी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी को उसकी खातेदारी की भूमि ख0नं0 2836 रकबा 1.08 हैक्टर ग्राम उदेईकलां के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रतिवादी द्वारा वादी के खेत में जो मिट्टी डाली गई है उसे प्रतिवादी अपने खर्च पर 15 दिवस में स्वयं हटवा देवे ।

आज दिनांक 02.07.2014 को डिक्री जारी की गई ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प पर्ची			स्टाम्प पर्ची		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
[illegible]			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

क्रमांक ... 58
प्रस्तुति दिनांक ...